

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वृत्त-ब, भरतपुर

...अपीलार्थी

बनाम
मैसर्स मोहम्मद अली पुत्र श्री खलील खान,
निवासी-फतेहपुर सिकरी
आगरा (उत्तरप्रदेश)

...प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अनिल पोखरणा
उप राजकीय अभिभाषक
अनुपस्थित

...अपीलार्थी की ओर से
...प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 08.10.2018

निर्णय

1. अपीलार्थी-विभाग द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, भरतपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 165/RET/2016-17/अ.प्रा./भरतपुर में पारित आदेश दिनांक 02.02.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, वृत्त-ब, भरतपुर (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.10.2012 अन्तर्गत राजस्थान टैक्स ऑन एण्ट्री ऑफ मोटर व्हीकल इन टू लोकल एरिया एक्ट, 1988 (जिसे आगे "अधिनियम 1988" कहा जायेगा) की धारा 3, 6 एवं 7 के तहत कर, शास्ति व ब्याज कुल मांग राशि रुपये 3,02,875/- को अपास्त किया है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी द्वारा राज्य के बाहर की फर्म मै0 अशोक ऑटो सेल्स लि., अलीगढ़ (उ0प्र0) से वाहन (ट्रक/ट्रेलर) जरिये बिल क्रमांक: C0653/10 दिनांक 31.07.2010 कीमतन रुपये 17,25,000/- में क्रय करके जिला परिवहन कार्यालय, भरतपुर से पंजीयन कराने पर वाहन संख्या RJ-05/GA-6277 आवंटित किया गया। वक्त पंजीयन उक्त वाहन पर अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत कर दायित्व होने के बावजूद प्रत्यर्थी द्वारा न तो प्रवेश कर चुकाया गया एवं न ही वाणिज्यिक कर विभाग से ET-1 घोषणा-पत्र प्राप्त कर अन्तर कर चुकाया गया। इस आधार पर सशक्त अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 3, 6 एवं 7 के अन्तर्गत प्रत्यर्थी को कारण बताओ नोटिस दिनांक 08.08.2012 के लिए जारी किया गया, किन्तु बावजूद सूचना प्रत्यर्थी द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया। सशक्त अधिकारी द्वारा एकतरफा कार्यवाही करते हुए प्रत्यर्थी द्वारा राज्य के बाहर से खरीद कर लाये गये वाहन कीमतन रुपये 17,25,000/- पर 14% से प्रवेश कर रुपये 2,41,500/- एवं शास्ति रुपये 1,000/- तथा देय प्रवेश कर जमा नहीं कराने पर ब्याज रुपये 60,375/- कुल मांग रुपये 3,02,875/- आरोपित की गई। सशक्त अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध प्रत्यर्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश करने पर अपीलीय अधिकारी ने आरोपित मांग को अपास्त कर दिया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध, अपीलार्थी-राजस्व द्वारा यह द्वितीय अपील पेश की गई है।

3 प्रत्यर्थी व्यवहारी बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित रहा है अतः उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाते हुए, राजस्व में विद्वान उप राजकीय अभिभाषक की एकतरफा बहस सुनी गयी।

4. अपीलार्थी—राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी के आदेश को विधिविरुद्ध बताया एवं सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश को विधिसम्मत बताते हुए, अपीलार्थी—राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। सशक्त अधिकारी की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि वाहन स्वामी द्वारा मै0 अशोक ऑटो सेल्स लि., अलीगढ़ (उ0प्र0) से उपरोक्त वाहन दिनांक 31.07.2010 को क्रय किया एवं जिला परिवहन कार्यालय भरतपुर में पंजीयन कराया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि उक्त संव्यवहार का कर निर्धारण आदेश धारा 28 के अनुसार दो वर्ष की अवधि में ही पारित किया जा सकता था जबकि सशक्त अधिकारी द्वारा दिनांक 09.10.2012 को आदेश पारित किया गया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मै0 जगदीश प्रसाद, खैरथल व अन्य (36 टीयूडी पेज 161) में पारित निर्णय में निम्न प्रकार अवधारित किया गया है :-

The Rajasthan tax on Entry of Motor Vehicles into local Area Act, 1988- Time barred assessment-- The respondent is an individual, is not a tax payer and purchased a jeep for his own use on 17.01.1996 as stated by the Assessing Officer. Therefore, the Assessing Officer by a printed order passed assessment order 24.04.1998 and held the respondent liable to pay the entry tax under section 3,6 and 7 of the Act of 1998 at Rs.10,340/-, Interest Rs. 5,377/- and Penalty Rs. 500/- Total Rs. 16,217/-. It is apparent from the perusal of the orders of the AO, DC(A) and Tax board, that the vehical was purchased on 17.01.1996 but the assessment order was passed by the A.O. on 24.04.1998. the order was passed after mor than two years and beyond the time limit contained in Section 10B(1) (3) of the Rajasthan Sales Tax Act, 1954. Both the learned DC(A) as also learned Tax Board came to a finding that order is time barred and could not have been passed after two years. Rajasthan High Court, Bench at Jaipur while dismissing the appeal of the deparment heald that:-

" It is abundantly clear that the respondent can be said to be a causal trader as he was not doing any business and got the vehicle for his own use and falls within the provisions of Section 10B(i)(ii) and assessment was to be completed on or before two years of the transaction therefore, the Tax Board as well as the DC(A) were correct and justified in coming to the conclusion that the assessment made by the petitioner department is contrary to the provisions of the Act and was beyond time prescribed under the law and therefore, the assessment was rightly quashed and set-aside."

राजस्थान कर बोर्ड द्वारा सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट—तृतीय, वृत्—ए कोटा बनाम मै0 सतनाम एस आनन्द, कोटा निर्णय दिनांक 12.02.2016 (2016) 44 टीयूडी पेज 251 में वाहन आयातकर्ता को आकस्मिक व्यवहारी मानते हुए यह उद्धरित किया है कि "केजुअल डीलर्स के संबंध में ट्रांजेक्शन की तिथि से 2 वर्ष की अवधि में ही उसका कर निर्धारण किया जा सकता है" 2/

6. विचाराधीन प्रकरण में अपीलीय अधिकारी ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मै० जगदीश प्रसाद, खैरथल व अन्य (36 टीयूडी पेज 161) में पारित निर्णय दिनांक 31.05.2013 के आधार पर अपील स्वीकार की है तथा व्यवहारी को केजुअल ट्रेडर मानते हुए कर निर्धारण आदेश पारित करने की समय सीमा 2 वर्ष मानी है तथा इस आधार पर कर निर्धारण आदेश को कालातीत माना है। विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील में मुख्य आधार यह लिया गया है कि ऐसे समान प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा एस.बी. सिविल एण्ट्री टैक्स रीविजन नं. 186/2007 सीटीओ निम्बाहेड़ा बनाम श्री मीरबहादुर निर्णय दिनांक 05.01.2009 में यह अवधारित किया है कि व्यवहारी को केजुअल ट्रेडर नहीं माना जा सकता तथा ऐसे मामलों में केजुअल ट्रेडर्स के कर निर्धारण के अनुसार समय सीमा नहीं मानी जा सकती। दोनों निर्णयों के अवलोकन से यह पता चलता है कि दोनों में विवाद का बिन्दू समान है। इस संबंध में विभिन्न न्यायिक दृष्टान्तों का अध्ययन करने पर यह पाया कि माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय की पूर्ण बेंच द्वारा Govindanaik G.Kalaghatigi vs West Patent Press Co. Ltd. And Anr. निर्णय दिनांक 26.02.1979 (AIR 1980 Karnataka 92) में निम्न प्रश्न निर्णय हेतु रेफर किया गया है :-

"When there is conflict between two decisions of the Supreme Court, is it the later of the two decisions or the decision of the larger of the Benches which rendered those decisions that should be followed by High Courts and other Courts in the Country?"

इस प्रश्न के संबंध में माननीय फुल बेंच द्वारा निम्न प्रकार अवधारित किया गया है :-


"If two decisions the Supreme Court on a question of law cannot be reconciled and one of them is by a larger Bench, the decision of the larger Bench, whether it is earlier or later in point of time, should be followed by High Courts and other Court. However, **if both such Benches of the Supreme Court consist of equal number of Judges, the later of the two decisions should be followed by High Courts and other Courts**".

इस प्रकार माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय की फुल बेंच ने यह अवधारित किया है कि यदि समान संख्या के माननीय न्यायधीशों की बेंच द्वारा पारित निर्णयों में विरोधाभास हो तो बाद की तिथि में पारित निर्णय का अनुसरण किया जाना चाहिए। इसी सिद्धांत को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों पर लागू किया जाये तो दोनों ही निर्णय माननीय एकलपीठ द्वारा पारित किये गये हैं जिसमें वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मै० जगदीश प्रसाद, खैरथल व अन्य (36 टीयूडी पेज 161) में पारित निर्णय दिनांक 31.05.2013 बाद की तिथि में पारित निर्णय है जिससे इसका अनुसरण किया जाना चाहिए।

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि सक्षम अधिकारी द्वारा इस प्रकरण में दिनांक 09.10.2012 को आदेश पारित किया गया है वह कालातीत था। अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर एवं माननीय कर बोर्ड द्वारा पूर्व पारित उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तों के प्रकाश में विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार होने योग्य है।

8. फलतः अपीलार्थी-राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है तथा अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की जाती है।

9. निर्णय सुनाया गया।


(नत्थूराम)
महाराज